राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)

Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआर/डीएलबी/विविध/2021/ 4635-4850 दिनांक : 22/03/2022

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषयः– समाचार पत्र की कटिंग पर अपनी टिप्पणी प्रेषित करने बाबत्।
प्रसंगः– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1221 दिनांक 25.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र में उल्लेख किया गया था कि राज्य की नगरीय निकायों में सम्पादित होने वाले कार्यो के संबंध में समय–समय पर समाचार–पत्रों में खबरें प्रकाशित होती रहती है। इन समाचारों पर मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को तत्काल टिप्पणी भिजवाया जाना आवश्यक होता है। इस विभाग की जनसम्पर्क शाखा द्वारा संबंधित निकाय से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी को उसी दिन ई–मेल एवं वाट्सऐप के माध्यम से भिजवाकर यह अपेक्षा की जाती है कि वे उस पर अपनी सारगर्भित टिप्पणी तत्काल उसी दिन ई–मेल एवं वाट्सऐप के माध्यम से भिजवाये।

किन्तु खेद है कि नगरीय निकायों के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी दूरभाष पर बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी समाचार पत्र की कटिंग पर अपनी टिप्पणी एक सप्ताह तक भी नहीं भिजवायी जाती है, जिसके कारण विभागीय टिप्पणी मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भिजवाना संभव नहीं हो पाता है। इससे न केवल विभाग की अपितु राज्य सरकार की भी छवि खराब होती है। इस स्थिति को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा काफी गम्भीरता से लिया जा रहा है।

इसी प्रकार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग के कार्यक्रम आयोजित होते रहते है। इन कार्यक्रमों के लिए भी संबंधित निकाय द्वारा समय पर वांछित सूचना प्रेषित नहीं की जाती है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मंत्री महोदय का सम्बोधन समय पर तैयार कर भिजवाने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

नगरीय निकायों द्वारा समय पर वांछित सूचना नहीं भिजवाना निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय कार्यो के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क) की ई–मेल आई.डी. jdpr.lsg@gmail.com एवं वाट्सऐप न. 9829063502 पर उसी दिन आवश्यक रूप से भिजवायें।

यदि भविष्य में उपरोक्तानुसार वांछित सूचना तत्काल भिजवाने में विलम्ब किया जाता है, तो संबंधित निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के विरूद्ध तुरन्त ही **अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है,** जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

क्रमांकःपीआर/डीएलबी/विविध/2021/ 4851-4860 दिनांक : 22/03/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने स्तर से भी आपके संभाग की निकायों को निर्देशित करावें।
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
5. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव